Impact Factor 3.025

ISSN 2349-638x

Refereed And Indexed Journal

AAYUSHI INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL (AIIRJ)

Monthly Publish Journal

VOL-IV ISSUE-IV APR. 2017

Address
· Vikram Nagar, Boudhi Chouk, Latur.
· Tq. Latur, Dis. Latur 413512 (MS.)
· (+91) 9922455749, (+91) 9158387437

Email
· aiirjpramod@gmail.com
· aayushijournal@gmail.com

Website
· www.aiirjournal.com

CHIEF EDITOR – PRAMOD PRAKASHRAO TANDALE

महिलाओं के खिलाफ हिंसा दुनिया-भर की समस्या

डॉ.सुहास पाठक
सहाय्यक प्राध्यापक माध्यम शास्त्र संकुल
स्वा.रा.ती.म.विद्यापीठ नांदेड-४३१६०६.

२५ नवंबर को 'महिलाओं के खिलाफ हिंसा मिटाओ' का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इस तारीख को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सन १९९९ में मान्यता दी थी। क्यों? वह इसलिए ताकि लोगों में यह जागरूकता पैदा की जा सके कि महिलाओं को उनके अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं। मगर यह कदम उठाना इतना जरूरी क्यों हो गया था?

बहुत-सी संस्कृतियों में स्त्रियों को पुरुषों से कम दर्जा दिया जाता है। दरअसल उनके साथ भेदभाव करने का रवैया, समाज में कूट-कूटकर भरा है। उनके खिलाफ की जानेवाली हर किस्म की हिंसा एक ऐसी समस्या बन गयी है, जो मिटने का नाम ही नहीं ले रही है। यहाँ तक कि अमीर देशों में भी यह समस्या देखने को मिल रही है। संयुक्त राष्ट्र के भूतपूर्व सेक्रेट्री-जनरल, कोफी आनन ने कहा था: "दुनिया के कोने-कोने में महिलाओं के खिलाफ हिंसा की जा रही है। हर समाज और हर संस्कृति की महिलाएँ इस जुल्म की शिकार हो रही हैं। वे चाहे किसी भी जाति, राष्ट्र, समाज या तबके की क्यों न हों, या उनका जन्म चाहे जहाँ भी हुआ हो, वे हिंसा से अछूती नहीं हैं।"

राधिका कुमारस्वामी, जो महिलाओं के खिलाफ हिंसा के विषय पर 'संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग' (UNCHR) की खास रिपोर्टर रह चुकी हैं, कहती हैं कि यह "एक ऐसा विषय है, जिस पर कोई बात नहीं करना चाहता। समाज में इस अपराध पर परदा डाला जाता है और यह जिंदगी की एक बहुत ही शर्मनाक सच्चाई है।" हॉलैंड की एक संस्था (जो इस बात का अध्ययन करती है कि लोग अपने किस व्यवहार से अपराध के शिकार होते हैं) ने जो आँकड़े जारी किए, वे दिखाते हैं कि दक्षिण अमरीका के एक देश में २३ प्रतिशत महिलाएँ, यानी हर ४ महिलाओं में से करीब १ किसी-न-किसी तरह की घरेलू हिंसा की शिकार होती है। उसी तरह, 'यूरोप परिषद्' ने अनुमान लगाया है कि यूरोप की हर ४ स्त्रियों में से १ कभी-न-कभी अपनी जिंदगी में घरेलू हिंसा की शिकार होती है। 'ब्रिटिश होम ऑफिस' के मुताबिक, हाल के एक साल में इंग्लैंड और वेल्स में हर हफ्ते औसतन दो औरतों की उनके पिछले या मौजूदा पुरुष-साथी ने हत्या की है। इंडिया टुडे इंटरनैशनल पत्रिका में यह रिपोर्ट छपी: "पूरे भारत की महिलाओं के लिए डर ही उनकी एक ऐसी सखी है, जो हर पल उनके साथ रहती है और बलात्कार एक ऐसा खतरनाक अजनबी है, जो किसी भी वक्त , किसी भी मोड़ पर, सड़क पर या आम जगह पर उन्हें धर-दबोच सकता है।'' मानव अधिकार का एक और संगठन, 'एमनेस्टी इंटरनैशनल' बताता है कि महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ की जानेवाली हिंसा, आज 'मानव अधिकार का उल्लंघन करनेवाली सबसे बड़ी समस्या है।'

आज अनगिनत महिलायें घरेलू हिंसा की शिकार हैं । देश की राजधानी दिल्ली के एक सामाजिक संगठन द्वारा कराये गये सर्वेक्षण से यह बात सामने आई है कि देश में लगभग ५ करोड़ महिलायें घरेलू हिंसा की शिकार हैं लेकिन इनमें से केवल ०.१ प्रतिशत महिलाओं ने ही घरेलू हिंसा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है । क्यों ? क्योंकि वे जानती हैं कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो मायके और ससुराल दोनों घरों के द्वार उन के लिये सदा के लिये बंद हो जायेंगे...!! चाहे उन के लिये विवाहित जीवन में प्रवेश करने का अर्थ एक तनाव पूर्ण तथा हिंसा पूर्ण अस्तित्व की शुरुआत ही क्यों न हो ...!! हमारे परंपरागत समाज में महिलाओं को हमेशा अन्याय सहन करने की शिक्षा जो दी जाती है...!! पति की सेवा और उसकी हर इच्छा को पूरा करना उन का धर्म है...!! जो समाज आज भी महिलाओं को पुराने रीति-रिवाजों का अनुसरण करने पर मजबूर करता हो, वहां महिलाओं के साथ ऐसी वारदातें हमारे समाज की मौलिक पहचान को मजबूत आधार देता है । समय परिवर्तन के बावजूद भी आज महिलायें क्या खुद को स्वतंत्र और सुरक्षित मान सकतीं ? वह कभी भी इस बात से आश्वस्त नहीं रह सकतीं कि घर और बाहर के वातावरण में वे सुरक्षित हैं ।

आज भी अधिकांश पुरुषों की मानसिकता में अपनी पत्नी को पीट देना एक शक्तिशाली पुरुष होने का मापदंड ही है । पर वे ये भूल जाते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा ? बहुत दुर्भाग्य पूर्ण और बिखरा हुआ एक दुखी घर ही उन के हिस्से में आयेगा...!! घरेलू हिंसा की यह धारणा क्यों पनपी ? क्योंकि हमारे समाज में बेटी के पैदा होने से ही उसके साथ भेद-भाव होना शुरू हो जाता है । उसकी स्वतंत्रता को कुचल दिया जाता है । अगर वह अपनी आजादी और अस्तित्व के लिए आवाज उठाती है तो उसके साथ गलत व्यवहार और मारपीट कर उसे चुप करा दिया जाता है । पुरुष सत्ता इस अवधारणा पर ही आधारित है । आज इस धारणा को बदलने की आवश्यकता है ।

भारतीय समाज में महिला पर अत्याचार होना कोई नई बात नहीं है । यहां पुरुष वर्चस्व को बरकरार रखने के लिए हमेशा ही महिला के स्वाभिमान और उस के निजी अस्तित्व को कुचला जाता रहा है । उस के जीवन की आहुति आम बात है । सब कुछ सहती हुई वह कभी भी अपने साथ हो रहे दुर्व्यवहार और अत्याचार के विरोध में अपनी आवाज नहीं उठा पाती; क्योंकि वह यह जानती है कि इस पुरुष प्रधान समाज में उसकी व्यथा की न उस के मायके में सुनवाई होगी और ना ही ससुराल में । इसीलिए वह अपनी इस व्यथा को अपनी नियति मानती हुई सब कुछ सहन करती रहती है ।

हमारे सामाजिक व्यवस्था में प्राय: यह देखा गया है कि औरत परिवार के भीतर कभी पिता, तो कभी भाई, विवाह पश्चात पति या बेटा, किसी ना किसी रूप में पुरुष के सत्तात्मक रुख का शिकार होती रही है । जिसका सबसे बड़ा कारण यह है कि प्रकृति ने औरत को पुरुषों की अपेक्षा शारीरिक तौर पर कमजोर बनाया है, जिसकी वजह से वह जल्द ही पुरुषों के क्रोध का, उन के द्वारा अपमानित होना, मार खाना जैसी वृत्तियों का शिकार होती आ रही है । इतना ही नहीं हमारे समाज की सोच भी तो यही रही है कि शादी के बाद पति को पत्नी पर हाथ उठाने का अधिकार (खुद-ब-खुद) मिल जाता है ।

बढ़ती जा रही घरेलू हिंसा को देख हमारी संवैधानिक व्यवस्था महिला पर होने वाली हिंसा और उसके शोषण के प्रति सचेत तो हो गई है पर जब तक खुद महिलायें सशक्त नहीं होगी तब तक घरेलू हिंसा को रोकना मुमकिन नहीं होगा । वर्ष २००६ में भारत सरकार द्वारा घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम २००५ लागू किया गया जिसके अनुसार महिला के साथ होने वाली किसी भी प्रकार के गलत व्यवहार मतलब कि मारपीट, गाली-गलोच, अपशब्द का प्रयोग, छेड़छाड़, उस के मना करने पर भी संभोग इत्यादि को अपराध की श्रेणी में रखा गया है और इसके दोषी पाए जाने वाले के लिये कड़ी से कडी सजा का भी प्रावधान रखा गया है । अर्थात कोई भी महिला यदि परिवार के पुरुष द्वारा की गई मारपीट अथवा अन्य प्रताड़ना से त्रस्त है तो वह घरेलू हिंसा की शिकार मानी जाएगी । आज यही कारण है कि अबला और असहाय समझी जाने वाली महिला आज अपने अधिकारों के प्रति सचेत होती जा रही है । इसके अंतर्गत विधवा बहन, मा, बेटी, अकेली अविवाहित महिला आदि को घरेलू संबंधों में सम्मिलित भी किया गया है । इतना ही नहीं इस संविधान के तहत उन्हें संपत्ति का अधिकार अगर नही भी दिया जाये, पर उस के आवास संबंधी सभी सुविधाएं मुहैया कराना की जिम्मेदारी परिवार के मुखिया की रखी गई है । इस महिला संरक्षण अधिनियम २००५ की जरूरत क्यों पड़ी ? आखिर घरेलू हिंसा के कारण क्या हैं ? देखिये घरेलू हिंसा के मुख्य कारण हैं

- महिलाओं में शिक्षा का अभाव
- आर्थिक तौर पर उन का कमजोर होना
- पति का शराबी या कोई और नशे की लत का होना
- दहेज की कुप्रथा का होना
- बहू बनी महिला द्वारा बार-बार बेटी पैदा करना
- ससुराल में हो रहे दुर्व्यवहार का विरोध करना
- पुरुष का उस के चरित्र पर शक करना

घरेलू हिंसा के प्रकार...

शारीरिक हिंसा –

मारपीट करना, धकेलना, ठोकर मारना, लात मारना मुक्का मारना यानी कि उसे शारीरिक पीड़ा या क्षति पहुंचाना...

लैंगिक हिंसा –

बलात्कार करना, अश्लील साहित्य या कोई अन्य अश्लील तस्वीरों को देखने के लिए विवश करना, महिला के साथ दुर्व्यवहार करना, अपमानित करना, महिला की पारिवारिक और सामाजिक प्रतिष्ठा को आहत करना

मौखिक और भावनात्मक हिंसा –

अपमान करना, चरित्र पर दोषारोपण करना, पुत्र ना होने पर अपमानित करना, दहेज इत्यादि न लाने पर अपमानित करना, नौकरी ना करने या उसे छोड़ देने के लिए विवश करना, विवाह ना करने की इच्छा के विरुद्ध विवाह के लिए जबर्दस्ती करना, उसकी पसंद के व्यक्ति से विवाह ना करने देना, किसी विशेष व्यक्ति से विवाह करने के लिए विवश करना, आत्महत्या करने की धमकी देना, कोई अन्य मौखिक दुर्व्यवहार करना

आर्थिक हिंसा –

बच्चों की पढ़ाई और उनके संरक्षण के लिए धन उपलब्ध न कराना, बच्चों के लिए खाना, कपड़े, दवाइयां उपलब्ध न कराना, रोजगार चलाने से रोकना या उसमें रुकावट पैदा करना, वेतन इत्यादि से प्राप्त आय को ले लेना, घर से निकलने के लिए विवश करना, निर्धारित वेतन या पारिश्रमिक न देना...

इन सब मुद्दों को देखते हुए कुछ प्रश्न अवश्य जहन में उठते हैं कि क्या महिलाओं के साथ शोषण होना हर समाज की एक मौलिक पहचान है ? क्या शिक्षा और आधुनिकता इन अमानवीय हालातों में कोई परिवर्तन ला सकते हैं ?

भारतदेश , जिस की तुलना माता से की गई है , इसी देश की महिलाओं के हालात हर स्वरूप में शोचनीय ही दिख रहे हैं । उनका मानसिक और शारीरिक शोषण होना एक आम बात बनती जा रही है । शैक्षिक क्षेत्र हो या फिर सामाजिक, कागजी स्तर पर सब सही दिखाया जाता रहा है य लेकिन वास्तविक सुधार का कोई साक्ष्य कम से कम वर्तमान हालातों में तो नजर नहीं आता ।

संदर्भ:–

- डॉ. वसुधा गाडगिल, मीडिया की भाशा,अध्ययन पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्युर्ट, ४३७८/४ बी १०५, जे.एम. डी हाउस, मुरारीलाल स्ट्रीट, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली - ११०००२, प्र. सं. २००७
- डॉ. विनाद गोदरे, हिंदी पत्रकारिता स्वरूप एवं संदर्भ वाणी प्रकाशन, २१ए, दरियागंज, नई दिल्ली - ११००२, प्र. सं. २००७
- डॉ. अर्जुन तिवारी, जनसंचार और हिंदी पत्रकारिता जयभारती प्रकाषन, लालजी मार्केट, माया प्रेस रोड, २५८/३६५, मुठ्ठीगंज, इलाहाबाद, प्र. सं. २००४
- www.google.co.in